

दि. 06.08.24 को पेश हुआ।

5000

06.08.2024

Not Press

3)
6.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की
अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट है।
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
वकील वादी ने नोट-प्रेस करने का
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेस
किये जाने के आधार पर प्रकरण खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमा
होकर बाद तकमील दायिमल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा